निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 643) पटना, बुधवार, 28 जुलाई 2021

[kk| ,o miHkkDrk lj{k.k foHkkx

---

vf/klpuk

27 जुलाई 2021

जी०एस०आर० 04, दिनांक 28 जुलाई 2021—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 2871(अ) दिनांक 19.07.2021 के साथ पठित अधिसूचना संख्या–2955 दिनांक 21.06.2017 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2021 के संदर्भ में राज्यपाल बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 09 दिनांक 19 अप्रैल 1984 के द्वारा प्रकाशित बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा–पत्र –एकीकरण) आदेश, 1984 के खण्ड–03, कंडिका–18 के अन्तर्गत दालों के संचयन सीमा (स्टॉक लिमिट) के संबंध में निम्न आदेश निर्गत करते है :–

1- lf{kIr uke vkj ikjEHk A&

(i) इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2021 है।

(ii) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2- विशिष्ट खाद्य पदार्थो पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में खंड 3 में, उप–खंड (2) में, मद (i) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात–

(i) दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए, दालों नामतः तूर, मसूर, उड़द, चना को, राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ रखा जाएगा ;

- थोक विक्रेताः 500 मीट्रिक टन (बशर्तें कि किसी एक किस्म की मात्रा 200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होनी चाहिए)
- खुदरा विक्रेताः 5 मीट्रिक टन
- मिलरः स्टॉक सीमा विगत 6 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो, होगी।

3- उपर्युक्त संबंधित विधिक इकाईयाँ इसकी घोषणा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in) पर करेंगी और यदि उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएगी।

4- इस आदेश में निहित कोई भी बात दालों के आयात पर लागू नहीं होगी ;बशर्तें की आयातक उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in) पर दालों के स्टॉक की घोषणा करेंगे।

5- एतद् सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

6- यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

¼lŒ i04@vk&01@2021&2948½
fcgkj&jkT;iky d vkns'k l]
fou; dqekj]
ljdkj d lfpoA

Food and Consumer Protection Department

Notification

27th July 2021

GSR 04, dated 28th July 2021—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), published through S.O 2871 (E) dated 19-07-2021, read with Notification No. 2955 dated 21.06.2017 and in the context of removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on specified foodstuffs order, 2021 the Governor of Bihar is hereby pleased to issue the following order for the stock limit of pulses under Para 18 of the Section- 03 of Bihar Trade Articles (License Unification) Order, 1984 published by Food and Consumer Protection Department, Bihar vide Notification No. GSR 09 dated 19th April 1984 as follows:-

1. ***Short Title and Commencement.—***
   (i) This order may be called the Removal Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2021.
   (ii) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified foodstuffs Order, 2016 in clause 3, in sub-clause (2), item (i) shall be inserted namely:-

(i) All Pulses namely: Tur, Masoor, Urad, Chana for a period up to 31st October 2021 with following stock limits for all States and Union Territories;

- Wholesaler: 500 MT (subject to condition that there should not be more than 200 MT of one variety)
- Retailer: 5 MT
- Millers: Stock limits will be last 6 months production or 50% of annual installed capacity, whichever is higher.

3. Respective legal entities, as above, shall declare the same on the portal (fcainfoweb.nic.in) of Department of Consumer Affairs and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits then they shall bring it to the prescribed stock limits within 30 days of the issue of this notification.

4. Nothing contained in this Order shall be applicable to import of pulses :

Provided that importers shall declare stocks of pulses on the portal (fcainfoweb.nic.in) of Department of Consumer Affairs.

5. Previously issued corresponding notifications/orders shall be deemed to be amended to this extent.

6. This Order shall come into force from the date of its notification.

(No. Pra-04-aa-01/2021-2948)
By order of the Governor of Bihar,
VINAY KUMAR,
Secretary to the Goverment.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 643-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in